रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895
No. 73] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st March 1973

SUBJECT.—*Export of Hand Woven Woollen Carpets and Woollen Chain Stitched Rugs manufactured in Eluru and Warrangal in Andhra Pradesh.*

No. 13-ETC(PN)/73.—Reference Ministry of Commerce Export Trade Control Order No. E(C)O, 1968/AM(96), dated the 31st March, 1973 amending the provisions of the aforesaid Order.

2. It is notified for the information of the Trade that with effect from 1st April, 1973, export of Hand Woven Woollen Carpets and Woollen Chain-Stitched Rugs manufactured in Eluru and Warrangal of Andhra Pradesh other than those mentioned against item No. 32(i)(a) in Part 'A' will be licensed freely on shipping bills and export will be allowed only on outright sale basis and subject to floor price of Rs. 35.00 per sq. metre f.o.b. subject to the condition that the exporter will produce a certificate of origin from the Director of Industries and Commerce, Government of Andhra Pradesh to the effect that the carpet is manufactured in Eluru/Warrangal.

S. G. BOSE MULLICK.
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

विषय.—आन्ध्र प्रदेश में एलूरू और वारंगल में विनिर्मित हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियों और ऊनी लड़ियों से सिले हुए कालीनों का निर्यात ।

संख्या : 13–ईटीसी (पीएन) /73—पूर्वोक्त आदेश की शर्तों को संशोधित करते हुए वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या ई(सी) ओ, 1968 / एएम (96), दिनांक 31 मार्च, 1973 के संदर्भ में ।

2. व्यापारियों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भाग 'ए' में मद संख्या 32 (1) (ए) के सामने जो उल्लिखित हैं उन से आन्ध्र प्रदेश में एलरू और वारंगल में विनिर्मित हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियों और ऊनी लड़ियों से सिले कालीनों का निर्यात पोत परिवहन बिलों के आधार पर अबाध रूप से अनुज्ञात होगा और केवल तत्क्षण बिक्री के आधार पर और कम से कम 35.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत की शर्त पर ही निर्यात अनुमित होगा और यह इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक, निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में एक उदगम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि दरियां एलूरू/वारंगल में विनिर्मित है ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973